

* ई-मेल

स्पीड पोस्ट / निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- नगर पंचायत, मोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु राशि ₹109.51665 लाख (एक करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार छः सौ पैंसठ रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2026-27 में तत्काल व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय राज्यादेश संख्या-318, दिनांक-20.12.2023 द्वारा नगर पंचायत, मोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत सड़क एवं नाला निर्माण कार्य हेतु कुल राशि ₹209.51665 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये तत्काल ₹109.51665 लाख रुपये आवंटित किया गया। विभागीय राज्यादेश संख्या-534 दिनांक-28.03.2026 द्वारा उक्त योजनाओं हेतु ₹109.51665 लाख रुपये मात्र आवंटित की गई। उक्त राशि की निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पाई जिसकी व्यय की स्वीकृति को विभागीय पत्रांक 4363 दिनांक-17.04.2026 द्वारा रद्द कर दिया गया है।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में नगर पंचायत, मोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित योजना के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित एकरारनामा राशि के अनुरूप स्तम्भ-06 में अंकित तत्काल राशि ₹109.51665 लाख (एक करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार छः सौ पैंसठ रुपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | नगर निकाय का नाम | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | एकरारनामा की राशि | तत्काल आवंटित राशि | अवशेष राशि |
|------------|----------------------|---|----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | नगर पंचायत, मोहनियाँ | नगर पंचायत, मोहनियाँ अंतर्गत वार्ड संख्या-03 में भभुआ रोड स्टेशन के उत्तर साईड बरगद के पेड़ से लेकर रामगढ़ मोहनियाँ रोड तक PCC सड़क एवं RCC नाला निर्माण कार्य। | 209.51665 | 157.14480 | 109.51665 | 47.62815 |
| कुल | | | 209.51665 | 157.14480 | 109.51665 | 47.62815 |

अर्थात् ₹109.51665 लाख (एक करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार छः सौ पैंसठ रुपये) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत राशि ₹109.51665 लाख (एक करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार छः सौ पैंसठ रुपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, मोहनियाँ के PL

खाता-BBWPLA006, HOA संख्या-00-8448-00-102-0003-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹109.51665 लाख (एक करोड़ नौ लाख इक्यावन हजार छः सौ पैसठ रुपये) मात्र माँग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष-193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य सहायता, उपशीर्ष- 0103- परिवहन के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2217031930103, विषय शीर्ष-0103.31.05 सहायता अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण मद से की जायेगी।
5. बिहार कोषागार सहित के नियम- 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-61, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. **उक्त योजना का कार्यान्वयन ई०-टेंडरिंग के माध्यम से संबंधित नगर निकाय द्वारा कराया जाएगा।**
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 04/सड़क-01-17/2026 के पृष्ठ सं०-41/टि० पर दिनांक-30.04.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 42/टि० पर दिनांक-09.05.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-04/सड़क-01-17/2026 **35** /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-**13/05/26**
प्रतिलिपि:-संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मोहनियाँ/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।